

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, चन्दौली
सर्वर क्रय करने हेतु टेण्डर सूचना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 2682/XXIV-CPC/ecourts/ Allahabad दिनांक 22.03.2018 के अनुपालन व माननीय जनपद न्यायाधीश चन्दौली के आदेश दिनांक 23.03.2018 के बावत जनपद न्यायालय चन्दौली में एक सर्वर मय रैक क्रय एवं स्थापित (स्टालेशन) करने हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से टेंडर आमंत्रित किये जाते हैं।

Details of Server

HPE DL160 GEN9
(2Processor capable
1 x Intel® Xeon® E5-2620v4 (2.1GHz/8-core/20MB/85W/
08 GB DDR4-2400 R Memory/
1 x 300GB 6G SAS 10K rpm SC DS HDD
HP H240 12Gb 2-ports Int Smart HBA
HP SATA 9.5 JB Optical HDWR
2 x HP 900W AC 240VDC Power Module
HP iLO (Firmware: HP iLO 4)
3 Yrs. 24x7 4Hr Support)

उपरोक्त विवरण के अतिरिक्त इससे और अच्छे कॉन्फिगरसन का सर्वर फर्म द्वारा दिया जा सकता है
एक सर्वर मय रैक क्रय हेतु टेण्डर के नियम व शर्तें

1. OS-Ubuntu Server 12.04 LTS ms ,14.04 LTS and Ubuntu Server 16.04 LTS को सर्पोर्ट करता हो।
2. समस्त सर्वर आपूर्तिकर्ता को नजारात अनुभाग जनपद न्यायालय चन्दौली में स्वयं अपने व्यय/खर्च पर पहुँचा कर न्यायालय में स्थापित करनी होगी।
3. टेण्डर हेतु धरोहर धनराशि 10000.00 रु० नगद अथवा उक्त धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जनपद न्यायाधीश चन्दौली के नाम से देय हो, नजारात में जमा करना होगा, जो टेण्डर स्वीकृत न होने की दशा में उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस के दिन में वापस कर दिया जायेगा।
4. उपरोक्त सभी की तीन वर्ष की वारन्टी होनी चाहिए।
5. टेण्डर प्राप्त होने की अंतिम तिथि 27.03.2018 को सायं 4 बजे तक है, नियत समय के पश्चात प्राप्त टेण्डर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
6. उपरोक्त सर्वर आदि का मूल्य सभी प्रकार के कर सहित होना चाहिए।
7. उपरोक्त सर्वर आदि को माननीय उच्च न्यायालय से अनुदान उपलब्ध होने पर क्रय एवं स्थापित (Installation) किया जायेगा।
8. किसी भी टेण्डर को निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश चन्दौली को होगा। इसके लिए कारण बताने हेतु जनपद न्यायाधीश चन्दौली बाध्य नहीं होंगे।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय चन्दौली होगा।

(सुधाकर राय)
(सुधाकर राय)

प्रभारी नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर)
जनपद न्यायालय चन्दौली।

प्रतिलिपि:-

1. नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय चन्दौली।
2. नोटिस बोर्ड कलेक्ट्रेट चन्दौली।
3. स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु सूचना अधिकारी, चन्दौली।
4. एन.आई.सी को जिला चन्दौली की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
5. नोडल ऑफिसर (कम्प्यूटर) को माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उचित माध्यम से अपलोड कराने हेतु।